न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 03/2020/दावा 136 एलआरएक्ट

1. हादर उर्फ सागरमल पुत्र पुराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम भोजा की ढाणी तन श्यामपुरा तन श्यामपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादी

ब ना म

1. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक –02.03.2020

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 337, 379, 380, 381, 382, 389/451, 389/452, 97 किता 8 कुल रकबा 12.34है0 व 193 लगायत 207 किता 15 कुल रकबा 4.60 है0 व 356 रकबा 1.23 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.23 है0 वाके ग्राम भोजा की ढाणी पटवार हल्का श्यामपुरा भू0अ0नि0 रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियों में वादी रिकोर्डेड खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार है। वादी के जन्म के पश्चात बाल्य अवस्था में वादी को घर में प्यार से माता–पिता व अन्य परिवारजन द्वारा हादर के नाम से पुकारना से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम हादर दर्ज करवा दिया गया, तत्पश्चात वादी का नाम सम्मान जनक नहीं होने के कारण अन्य सरकारी रिकार्ड में सम्मानजनक नाम सागरमल दर्ज करवा दिया गया, जबकि हादर व सागरमल दोनों नाम वादी एक ही व्यक्ति के ही है। इस प्रकार वादी के अन्य सरकारी रिकार्ड व अन्य दस्तावेज जैसे मतदाता महचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड एवं बैंक रिकार्ड में वादी का नाम सागरमल बदस्तुर अंकित चला आ रहा है। वादी के उपरोक्त कथन के समर्थन में ग्राम पंचायत श्यामपुरा पंचायत समिति पिपराली द्वारा दिनांक 07.08.2019 को जारी प्रमाण–पत्र में भी संरपंच द्वारा इस कथन की पुष्टी की गयी है कि हादर व सागरमल दोनों एक हरी व्यक्ति के है। जो दुरूस्त होने योग्य हैं। अतः दावा

Scanned with CamScanner

पेश करना आवश्यक हुआ है। वादकारण आज से करीब 10 रोज पूर्व वादी द्वारा अपनी भूमि को विकसित करने के लिए बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने की कार्यवाही हेतु बैंक में जाने पर भिन्न नाम होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हाने के पश्चात ही किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण नहीं मिलने के कारण उत्पन्न हुआ है जो क्षण प्रतिक्षण निरंतर रूप सें जारी है। अतः दावा बाबत उद्घोषणा व रिकोर्ड दुरूस्ती पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी का नाम हादर पुत्र पुरा के स्थान पर हादर उर्फ सागरमल पुत्र पुराराम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाकर हादर पुत्र पुरा के स्थान पर हादर उर्फ सागरमल पुत्र पुराराम दर्ज किया जावे।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि वादी हादर पुत्र पुराराम के बजाय सागरमल पुत्र पुराराम किया जाना उचित है तथा रिपोर्ट तहसीलदार व संलग्न साक्ष्यों के आधार पर हादर पुत्र पुरा के स्थान पर सागरमल पुत्र पुराराम की अभिशंषा सहित रिपोर्ट प्रेषित है।'' वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा बाबत उद्घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भोजा की ढाणी पटवार हल्का श्यामपुरा भू0अ0नि0 रैवासा तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 337, 379, 380, 381, 382, 389/451, 389/452, 97 किता 8 कुल रकबा 12.34है0 व 193 लगायत 207 किता 15 कुल रकबा 4.60 है0 व 356 रकबा 1.23 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.23 है0 में खातेदार वादी का नाम हादर पुत्र पूरा के स्थान पर हादर उर्फ सागरमल पुत्र पूराराम दर्ज करने की उद्घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। डिक्री जारी हो।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

हादर उर्फ सागरमल बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 03/दावा सन् 2020 निर्णय दिनांक. .02.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत** मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा ग्राम ग्राम भोजा की ढाणी पटवार हल्का श्यामपुरा भू0अ0नि0 रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के तन में अवस्थित भूमि खसरा नंबर 337, 379, 380, 381, 382, 389/451, 389/452, 97 किता 8 कुल रकबा 12.34है0 व 193 लगायत 207 किता 15 कुल रकबा 4.60 है0 व 356 रकबा 1.23 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.23 है0 में हादर पुत्र पूरा के स्थान पर हादर उर्फ सागरमल पुत्र पूराराम दर्ज किये जाने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख02.03.2020 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

Scanned with CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned with CamScanner